इस पत्रावली पेश हुई पत्रावली
का अवलोकन किया गया अन्तर्वर्ती दावा
नहीं अदम पैरवी में डिक्री के
रूप में खारिज हो गया है सहवन
पत्र खारिज नहीं किया गया।
दावा वादी ही खारिज हो गया है
धारा 212 RTA का चलाने
औचित्य नहीं रह गया है
अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी की इसी
पत्र खारिज किया जाता है
परि फदा अन्तर्वर्ती डिक्री
रद्द की खारिज किया जाता है
फैसला क्रमशः होकर अलग से
दी सकता मूल पार है।

हेमराज गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (भरतपुर)